भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रू. 100

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

NOTARY Advocate BEAWAR AREA Regd. No. 67 GOVERNMENT OF RAJASTHAN

NOTARY BEAWAR (RAJ.)

राजस्थान RAJASTHAN

AU 514051

यह प्रलेख किरायानामा के स्टाम्प पर आज तारीख 17.10.2019 को सम्पादित किया गया है।

कोषाधिकारी ब्यावर 04 OCT 2019 जिला अजमेर राजस्थान

किरायानामा

हम कि:-

1. श्री सोहनसिंह पुत्र श्री गोपालसिंह जाति रावत निवासी ठीकरानामेन्द्रातान तहसील ब्यावर जिला अजमेर
अधीक्षक संस्कार निजी औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान जवाजा रोड देवाता वाया जवाजा तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

प्रथम पक्ष किरायेदार

1 श्री सुरेन्द्रसिंह पुत्र स्व.श्री नवलसिंह जाति रावत निवासी ग्राम पोस्ट देवाता वाया जवाजा तहसील ब्यावर जिला अजमेर राजस्थान।

द्वितीय पक्ष मालिक जायदाद

Identified by me

ग्राम ग्राम देवाता जवाजा रोड तहसील ब्यावर के खसरा संख्या 88 मे स्थित एक भूसम्पदा नाप 135 फिट उत्तर से दक्षिण 133 फिट पूर्व से पश्चिम कुल क्षैत्रफल 17995 वर्गफिट भूखण्ड है मे स्थित जायदाद तथा भूसम्पदा उक्त सम्पूर्ण जायदाद की मालिक व स्वामी द्वितीयपक्ष की मिल्कियत चली आती है

प्रथमपक्ष को विधालय संचालन हेतु परिसर की आवश्यकता है तथा द्वितीयपक्ष की सम्पूर्ण परिसर शैक्षणिक प्रयोजनार्थ–सकूल संचालन हेतु किराया 15,000/–रूपये अक्षरे दस हजार रूपयें महावर तय करके किराया शुरू तारीख से अवधि 05 वर्ष के लिये किराये पर हस्तगत किया है।

किरायेदारी की तयशुदा शर्तो को इस लीज एग्रीमेन्ट के द्वारा पिलीबद्ध करके दोनो पक्षरान लिखकर जाहिर करते है कि:–

1. यह कि प्रथम पक्ष किरायेशुदा परिसर का तयशुदा किराया 15,000/–रूपये प्रतिमाह द्वितीयपक्ष को जरिये नकद द्वितीयपक्ष को भुगतान करेगा
2. यह कि प्रथम पक्ष उक्त किरायेशुदा परिसर को अपन संस्थान स्कूल के उपयोग में सफाई व हिफाजत के साथ राजकीय नियमो का पालन करते हुये लेगें तथा किरायेशुदा परिसर को लेसी प्रथमपक्ष किसी भी अवस्था में किसी भी अन्य व्यक्ति, विभाग व संस्थान को सबलेट व पार्ट विथ नहीं करेगें।
3. यह कि किरायेशुदा परिसर में बिजली कनेक्शन रनिंग कडीशन विधमान है जिसको प्रथमपक्ष उपयोग में लेगें उसका बिजली का शुल्क किराये के अतिरिक्त प्रथमपक्ष संबंधित विभाग में जमा कराते रहेगें।
4. यह कि किरायेदारी की कालावधि दोनोपक्षकारान के मध्य तारीख 17.10.2019 से 05 वर्ष तक के लिये तय पायी है तथा किराये की राशि मे हर वर्ष 10 प्रतिशत की बढोतरी की जावेगी।
5. यह कि लीज की कालावधि 05 वर्ष समाप्त होते ही प्रथमपक्ष परिसर को खाली करके द्वितीयपक्ष के सुर्पुद कर देगा।
6. यह कि प्रथमपक्ष निश्चित अवधि से पूर्व किरायेशुदा परिसर खाली कर सकता है तथा प्रथमपक्ष के द्वारा कराया गया निर्माण वही रहेगा तथा प्रथमपक्ष किरायेदार अपनी सामग्री को साथ ले जा सकता है इसमे द्वितीयपक्ष मालिक को कोई आपत्ति नही होगी तथा इस अवधि के पश्चात द्वितीयपक्ष मालिक किसी प्रकार के किराये की राशि की मांगी नही करेगा।
7. यह कि द्वितीयपक्ष मालिक ने प्रथमपक्ष किरायेदार से 25,000/–रूपये अक्षरे पच्चीस हजार रूपये नकद प्राप्त किये है उक्त राशि किरायेशुदा परिसर खाली करते समय द्वितीयपक्ष द्वारा प्रथमपक्ष को वापिस अदा कर दिये जावेगे जिस पर कोई ब्याज देय नही होगा।
8. यह कि किरायेदारी अवधि मे द्वितीयपक्ष मालिक उक्त भूमि को अन्य किसी को बेचान नही कर सकेगा।
9. यह कि पांच वर्ष पूरे के पश्चात नया इकरारनामा लिखाकर किरायेदारी की मयाद आगामी बढा दी जावेगी।

NOTARY
Ganga Agarwal
Advocate
BEAWAR AREA
Regd. No. 674
GOVERNMENT OF RAJASTHAN

NOTARY
BEAWAR (RAJ.)

लिहाजा उभयपक्षकारान ने स्वेच्छा पूर्वक यह किरायानामा सम्पादित करा कर पढ सुन समझ कर निम्न गवाहान के समक्ष सहमति हस्ताक्ष्सरा कर दिये है कि सनद रहे तथा आवश्यकता पडने पर काम आवे। तहरीर तारीख 17.10.2019

हस्ताक्षर प्रथमपक्ष किरायेदार

हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष मालिक जायदाद

सुरेन्द्रसिंह

गवाह :– महेन्द्रसिंह

1. श्री महेन्द्र पुत्र श्री नारायणसिंह जाति रावत
निवासी ...

2. श्री ... पुत्र श्री ... जाति रावत
निवासी ग्राम देवाता तह ... अजमेर

NOTARY
Ganga Agarwal
Advocate
BEAWAR AREA
Regd. No. 674
GOVERNMENT OF RAJASTHAN

17/10/2019
NOTARY
BEAWAR (RAJ)

Document ... S.No. 3392 17/10/2019
Executed or Execution Admitted in My
Presence by ...
Identified by ...

(Ganga Agarwal Advocate)
NOTARY,
BEAWAR (AJMER)